

फरद अहकाम

(नियम 26)

न अदालत सिकराय

सरकार बनाम र.म.नि.व.ल।टी

रम मुकदमा यात गु० नं० 129/19

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19	<p>जिसका सरकार सिक्का है यात (मुकदमा) में यात दर सिद्ध किया जाकर अन्तर्निर्माण की तामीली की जाकर पञ्जावली 12 8-5-19 से भेजा हो</p> <p style="text-align: center;">सिकराय प्रस</p> <p>पञ्जावली पेश हुई। पेशीकाट सरकार उपस्थित है। पेशीकाट सरकार के सुनवा गये, पञ्जावली का अवलोकन किया। खेद का मनन किया। सदरवालेदारों द्वारा सदरवाले पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सदरवाले पत्रवाले दुखतीकरण का निर्देश किया गया। सदरवाले पत्र पर पञ्जावली पत्रवाले द्वारा तदानीपदाट सिक्का की रिपोर्ट की पञ्जावली पर उपलब्ध है। जिसपर की दुखतीकरण का निर्देश किया गया। ऐसी स्थिति में मुताबिक सदरवाले पत्र दुखत सिक्के वाले प्रोग्राम है। एवं सदरवाले पत्र दिनांक 23/03/19 निर्णय बडकी का भाग रहेगा।</p> <p>इति: यात का निर्णय स्वीकार किया जाता है तथा विनोदित ख. नं - 1761/1688 दुखतित। वाके राधा भाजपुर तद सदरवाले के राजस्व सिक्के के सदरवाले दिनांक 23/03/19 के मुताबिक दुखतीकरण के आदेश तदानीपदाट सिक्का की रिपोर्ट जारी है।</p> <p>निर्णय के द्वारा सिक्कावाले बाकट इसे न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">31 28/3/19.</p>	